

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

तुलसीराम

बनाम

अरुणलाल

म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 242/2021-1539

ख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मो०॥२

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती तुलसीराम

पिता श्री रामा डांगी

निवासी- डीकरिया (प.ह. अरुणलाल) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 69/1273

72/1274, 78/1276, 81

कुल कीता 4 कुल रकबा 1.1900 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम डीकरिया (प.ह. अरुणलाल) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 69/1273, 72/1274, 78/1276, 81

कुल कीता 4 रकबा 1.1900 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 10000=10000 रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(राम सुन्दर किशोर्)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)